निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक.....
5(स0) अपील (सूर्या) 45/2015

दिनांक,.....

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री सूर्या इन्टरप्राइजेज,
प्रो0– श्री रामाशीष साह,
पिता– स्व0 सूर्य नारायण साह,
गाँव– एकमी घाट, पो0 लहेरिया सराय,
थाना– बहादुरपुर, जिला– दरभंगा।

विषयः– दायर अपीलवाद सं0– 45/2015 की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री सूर्या इन्टरप्राईजेज बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4952 दिनांक 28/10/16

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

अनु० - यथोक्त

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

28/X/16

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 45/2015

सर्वश्री सूर्या इन्टरप्राईजेज, दोनार, दरभंगा

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

13.07.2016

यह अपील सर्वश्री कृष्णा फूड प्रोडक्ट, मरंगा, पूर्णियाँ द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 95 दिनांक 06.02.2014 के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 2010 में औद्योगिक क्षेत्र दोनार, दरभंगा में 4000 वर्गफीट, प्लॉट सं0–B24 में पत्रांक 876 दिनांक 07.08.2010 द्वारा प्लास्टिक ग्रेन्भूल्स एण्ड गुड्स के उद्योग स्थापना हेतु भूमि आवंटित किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि आवंटन पत्र के अनुसार मैं प्रथम किस्त 12660/– रु0 का बैंक डाफ्ट दिनांक 24.09.2010 को जमा कर चुका हूँ। आवंटित भूमि के सीमांकन हेतु 1000/– रु0 का बैंक ड्राफ्ट जमा करने का निदेश दिया गया था। हमारी आकस्मिक दुर्घटना के कारण समय–सीमा के भीतर कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ था। मेरी शारीरिक असक्षमता को देखते हुए मुझे कार्य आरम्भ करने हेतु सक्षम होने तक समय चाहता हूँ। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 95 दिनांक 06.02.2014 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि ज्ञापांक 95 दिनांक 06.02.2014 के द्वारा इकाई का भू–आवंटन किया गया। इकाई द्वारा भूमि का प्रभार ग्रहण में भी काफी लापरवाही बरते हुए दिनांक 05.03.12 को भूमि का प्रभार ग्रहण किया गया। इकाई को उद्योग स्थापना एवं बकाया राशि के भुगतान करने हेतु नोटिश कमशः पत्रांक 1056 दिनांक 20.06.12, पत्रांक 372 दिनांक 13.03.13 द्वारा सूचित किया गया तथा पत्रांक 722 दिनांक 09.05.13, पत्रांक 1131 दिनांक 08.07.13, एवं पत्रांक 1514 दिनांक 07.10.13 द्वारा अंतिम नोटिश दी गयी।

अंत में बियाडा के आदेश ज्ञापांक 95 दिनांक 06.02.2014 द्वारा इकाई को लम्बी अवधि से किसी प्रकार की औद्योगिक गतिविधि के अभाव में आवंटित भूमि को रद्द कर दिया गया।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इकाई को वर्ष 2010 में प्लास्टिक ग्रेन्भूल्स एण्ड गुड्स उद्योग स्थापना हेतु भूमि आवंटित किया गया था । इकाई द्वारा उद्योग स्थापना के लिए कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जबकि बियाडा द्वारा समय–समय पर इकाई को नोटिस निर्गत किया गया है। बियाडा के show cause Notice का इकाई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, और न ही Exit policy में शामिल होने के लिए कोई आवेदन दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता उद्योग लगाने के प्रति उदासीन है और किसी दूसरे उद्देश्य के लिए प्राधिकार को उलझा कर भूमि को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। उपर्युक्त स्थिति में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

24/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

24/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।